

फर्द अहकाम

श्रीमती गुलाब बनाम श्रीमती कल्ली देवी व अन्य

संख्या : 519/73/22

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/04/22	<p>वकील वादीया ने दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 27/5/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ रूप-खण्ड अधिकारी जयपुर (दिलीय)</p>	
27/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/7/22 को पेश हों।</p>	
27/7/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/8/22 को पेश हों।</p>	
25/8/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/10/22 को पेश हों।</p>	
19/10/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं वस्तु अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आज्ञा लगाते हैं उनकी मोर से कोई नही होने से वकील का वाफ इफ्ता जारी बापम परेरी श्री शबरील किया जाता है पत्रावली फॉरमल शमार दोनर हुजि जा0 से काफ हो बाफ तमनील शबिल इफतर है।</p> <p style="text-align: center;">रूप-खण्ड अधिकारी जयपुर (दिलीय)</p>	